प्रेस विज्ञप्ति
21/08/2026

ईडी ने डीएसके ग्रुप मामले में 14 आवासीय फ्लैटों का पुनर्स्थापन (रेस्टिट्यूशन) किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स डीएसके सदर्न प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामले में **14 आवासीय फ्लैटों** का सफल समाधान आवेदक के पक्ष में पुनर्स्थापन किया है। **इन फ्लैटों का बाजार मूल्य लगभग 70 करोड़ रुपये है।**

यह पुनर्स्थापन धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 8(8) के दूसरे परंतुक के तहत माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.07.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में किया गया है। बेंगलुरु के हुलीमावु गांव, बेगुर होबली स्थित "मंत्री डीएसके पिनेकल" में स्थित 14 फ्लैटों का कब्जा ईडी द्वारा दिनांक 14.08.2026 को सौंप दिया गया।

ईडी की जांच डीएसके ग्रुप के दीपक सखाराम कुलकर्णी और अन्य के विरुद्ध पुणे की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज प्राथमिकी से शुरू हुई। पीएमएलए के तहत की गई जांच में फर्जी जमा योजनाओं के माध्यम से निवेशकों से जुटाई गई धनराशि के **डायवर्जन और लेयरिंग** का खुलासा हुआ। अपराध से अर्जित आय का आकलन लगभग 1,129 करोड़ रुपये किया गया।

जांच के दौरान, ईडी ने दिनांक 14.02.2019 के अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) के माध्यम से लगभग **904 करोड़ रुपये** मूल्य की परिसंपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क कीं। बाद में पीएमएलए के तहत निर्णयन प्राधिकरण द्वारा उक्त कुर्की की पुष्टि की गई तथा मुंबई स्थित माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की गई, जिस पर न्यायालय ने संज्ञान लिया।